

भारतीय लोकतंत्र में स्त्री मुक्ति के प्रयासों की आवश्यकता और डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक की पहल

मीना कुमारी

हिन्दी विभाग, सरकारी महाविद्यालय रोपड़, पंजाब

1. प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, जहाँ नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और निर्णय-निर्माण में भागीदारी का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। परंतु इस विशाल लोकतांत्रिक ढांचे में भी स्त्री मुक्ति और महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता आज भी उतनी ही गहरी है, जितनी स्वतंत्रता-पूर्व काल में थी। भारतीय समाज अभी भी पितृसत्तात्मक संरचनाओं, लैंगिक असमानता, शिक्षा और रोजगार में अंतर, घरेलू हिंसा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, जिन्हें दूर करने के लिए स्त्री मुक्ति के संघर्ष को लोकतंत्र की मुख्यधारा में लाना अनिवार्य है। इसी संदर्भ में, पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं शिक्षाविद् डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई ऐसी पहल की हैं, जो स्त्री मुक्ति की दिशा में लोकतांत्रिक भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही हैं। इस शोध-पत्र में हम इस विषय को तीन भागों में देखेंगे: भारतीय लोकतंत्र में स्त्री मुक्ति की सैद्धांतिक आवश्यकता, वर्तमान वास्तविकता और चुनौतियाँ, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक की शैक्षिक और सामाजिक पहलों का विश्लेषण

2. भारतीय लोकतंत्र और स्त्री मुक्ति

सैद्धांतिक आधारलोकतंत्र का आधार समानता, स्वतंत्रता और न्याय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "समानता के अधिकार", "स्वतंत्रता के अधिकार" और "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय" का उल्लेख किया गया है, जो लैंगिक समानता को संवैधानिक रूप से स्वीकार करता है। लेकिन व्यवहार में लैंगिक असमानता के कारण महिलाएँ अक्सर निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया से बाहर रहती हैं, जिससे लोकतंत्र अपूर्ण और असमान बन जाता है। स्त्री मुक्ति का अर्थ केवल "पुरुषों से अलग रहना" नहीं, बल्कि स्व-निर्णय की क्षमता, आर्थिक स्वावलंबन, शैक्षिक समानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना है। भारतीय लोकतंत्र में स्त्री मुक्ति की आवश्यकता निम्न कारणों से उभरती है:

- 1) लैंगिक असमानता को समाप्त करना : भारत में अभी भी लड़कियों की शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में अंतर देखा जाता है। इस असमानता को दूर किए बिना लोकतंत्र का "समानता" का आदर्श अधूरा रहेगा।
- 2) निर्णय-निर्माण में समान भागीदारी: जब तक महिलाएँ विधायिका, नीति-निर्माण और स्थानीय निकायों में पर्याप्त संख्या में नहीं होंगी, तब तक उनकी विशिष्ट समस्याएँ—जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू हिंसा, और बाल विवाह—प्राथमिकता नहीं पाएँगी।
- 3) लोकतंत्र की वैधता और स्थायित्व: अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन बताते हैं कि जिन देशों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अधिक है, वहाँ लोकतंत्र अधिक स्थिर, जवाबदेह और न्यायपूर्ण होता है। इसलिए स्त्री मुक्ति लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक आवश्यक तत्व है।

- 4) आर्थिक विकास के लिए महत्व: अनुसंधानों से स्पष्ट है कि महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और स्वावलंबन में वृद्धि से देश की आर्थिक वृद्धि दर और गरीबी उन्मूलन दोनों में सुधार होता है।

इस प्रकार, भारतीय लोकतंत्र में स्त्री मुक्ति कोई "अलग आंदोलन" नहीं, बल्कि लोकतंत्र के स्वयं के लक्ष्यों को पूरा करने का एक आवश्यक प्रयास है।

3. वर्तमान वास्तविकता

भारत में महिलाओं की स्थिति - भारत ने स्वतंत्रता के बाद से कानूनी और संवैधानिक स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति (2001), बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिला आरक्षण विधेयक आदि। फिर भी, व्यवहारिक स्तर पर कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं

1) राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी

भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। विभिन्न शोध बताते हैं कि लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 14-15% के आसपास रहा है, जो वैश्विक औसत से नीचे है। इसी कारण महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को पारित करने की माँग लंबे समय से चल रही है।

2) शिक्षा और रोजगार में अंतर

हालाँकि लड़कियों की स्कूली शिक्षा में प्रवेश दर में सुधार हुआ है, लेकिन उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में उनकी भागीदारी अभी भी कम है। साथ ही, औपचारिक रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 20% से कम है, जबकि अनौपचारिक और घरेलू कार्य में उनका योगदान अधिक है।

3) सामाजिक रूढ़ियाँ और हिंसा

बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और लैंगिक हिंसा जैसी समस्याएँ अभी भी प्रचलित हैं। इन समस्याओं के कारण कई लड़कियाँ शिक्षा और रोजगार से वंचित रह जाती हैं, जो लोकतंत्र के "समानता" और "न्याय" के आदर्शों के विपरीत है।

4) स्थानीय स्तर पर सकारात्मक बदलाव

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण के कारण ग्रामीण स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है। अनेक अध्ययन बताते हैं कि आरक्षित सीटों पर चुनी गई महिलाओं ने स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया है, जो स्त्री मुक्ति की दिशा में सकारात्मक कदम है।

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र में स्त्री मुक्ति की आवश्यकता न केवल नैतिक और सामाजिक दृष्टि से, बल्कि लोकतंत्र की वैधता, आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4 स्त्री मुक्ति के प्रयास (भारतीय संदर्भ में)

भारत में स्त्री मुक्ति का आंदोलन उन्नीसवीं शताब्दी से ही चल रहा है, जब समाज सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फुले आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह और महिला शिक्षा जैसे मुद्दों पर संघर्ष किया। स्वतंत्रता-संग्राम

में महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे उनकी सार्वजनिक भागीदारी और राजनीतिक चेतना बढ़ी।

आजादी के बाद राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कानून और योजनाएँ बनाई, जैसे:

- लैंगिक भेदभाव विरोधी कानून (सती प्रतिषेध अधिनियम, दहेज विरोधी कानून, लैंगिक हिंसा के विरुद्ध कानून)।
- शिक्षा और रोजगार से संबंधित योजनाएँ (बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला उद्यमिता योजनाएँ)।

फिर भी, इन प्रयासों की सीमाएँ भी स्पष्ट हैं:

- कानूनों का क्रियान्वयन अक्सर धीमा और अपूर्ण रहता है।
- योजनाएँ अक्सर शहरी और मध्यम वर्ग तक सीमित रहती हैं, जबकि ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग की महिलाओं तक पहुँच कम होती है।

इसी कारण आज भी स्त्री मुक्ति के लिए संस्थागत, कानूनी और सांस्कृतिक स्तर पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं, जिनमें शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को एक साथ जोड़ा जाए।

5. डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: व्यक्तित्व और दृष्टि

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं। वे एक शिक्षाविद्, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी शैक्षिक नीतियों में समावेशी शिक्षा, लैंगिक समानता और युवा महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। उनकी दृष्टि के अनुसार, "महिला शिक्षा" ही स्त्री मुक्ति की सबसे शक्तिशाली नींव है, क्योंकि शिक्षित महिलाएँ न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार और समुदाय के लिए भी बेहतर निर्णय ले सकती हैं। इस दृष्टि को व्यवहार में लाने के लिए उन्होंने कई ऐसी पहल की हैं, जो भारतीय लोकतंत्र में स्त्री मुक्ति के प्रयासों को मजबूत करती हैं।

6. शैक्षिक क्षेत्र में निशंक की पहल: स्त्री मुक्ति की नींव

डॉ. निशंक के कार्यकाल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए। इनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं

1) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार

KGBV योजना शुरू से ही शिक्षा में पिछड़ी हुई लड़कियों के लिए छात्रावास-आधारित विद्यालय प्रदान करती है। निशंक के समय में इन विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक बढ़ाया गया, जिससे लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच मिल सके।

2) लैंगिक समावेशन निधि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत की परिकल्पना की गई, जिसका उद्देश्य लड़कियों और लैंगिक अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक अवसरों को सुनिश्चित करना है। इस निधि के माध्यम से

शौचालय, साइकिल-वितरण, सशर्त नकद हस्तांतरण और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, ताकि लड़कियों को स्कूल जाने में आने वाली बाधाएँ कम हों।

3) लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएँ

निशंक के कार्यकाल में AICTE द्वारा चलाई जाने वाली प्रगति योजना जैसी छात्रवृत्ति योजनाओं को प्रोत्साहित किया गया, जो निम्न-आय वर्ग की लड़कियों को तकनीकी शिक्षा में सहायता प्रदान करती हैं। इसके अलावा IITs में लड़कियों के लिए अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की गई, जिससे तकनीकी शिक्षा में लैंगिक संतुलन बढ़ाने का प्रयास किया गया।

4) स्व-रक्षा और सुरक्षा पर जोर

निशंक ने विद्यालय स्तर पर स्व-रक्षा प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने की पहल की, जिसके तहत कक्षा VI से XII तक की लड़कियों को स्व-रक्षा और योग-आधारित रक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला हेल्पलाइन नंबरों को कैम्पस के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया, जिससे महिला छात्राओं को त्वरित सहायता मिल सके।

5) सांस्कृतिक और जागरूकता कार्यक्रम

निशंक ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सांस्कृतिक और नाट्य क्लबों के माध्यम से नुक्कड़ नाटक, मिम शो और नाटक जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया, जो महिला अधिकारों, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाते हैं।

इन सभी पहलों का उद्देश्य यह है कि लड़कियाँ शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित रहें, ताकि वे भविष्य में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदार बन सकें।

7. उद्यमिता और आर्थिक स्वावलंबन (वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेलरेटर फॉर एस्पायरिंग वुमन एंटरप्रेन्योर्स)

डॉ. निशंक ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जैसी पहल शुरू की। यह कार्यक्रम AICTE और वेस्ट मैनेजमेंट संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य युवा महिलाओं को कचरा प्रबंधन, पर्यावरण-अनुकूल उद्यम और स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना था।

इस कार्यक्रम के माध्यम से:

- महिलाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सिखाए गए।
- उन्हें उद्यमिता विचारों को व्यवहार में लाने के लिए मार्गदर्शन और नेटवर्किंग का अवसर मिला।
- इससे महिलाओं को घरेलू सीमाओं से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से आर्थिक रूप से सक्षम बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेलरेटर फॉर एस्पायरिंग वुमन एंटरप्रेन्योर्स (WAVE) जैसी पहल स्त्री मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आर्थिक स्वावलंबन ही महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है।

8. लीलावती पुरस्कार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

डॉ. निशंक ने लीलावती पुरस्कार को भी महत्वपूर्ण मंच के रूप में उपयोग किया, जो महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर छात्र-परियोजनाओं को सम्मानित करता है। इस पुरस्कार के माध्यम से:

- युवा महिलाओं को सामाजिक समस्याओं के लिए नवीन समाधान तैयार करने का प्रोत्साहन मिला।
- महिला विषयों पर शोध और नवाचार को प्रतिष्ठित मंच प्राप्त हुआ।

इस प्रकार, लीलावती पुरस्कार ने न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, बल्कि यह भी संकेत दिया कि शिक्षा और नवाचार के माध्यम से स्त्री मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्त्री मुक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति

डॉ. निशंक के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस नीति में महिला शिक्षा और लैंगिक समावेशन को विशेष स्थान दिया गया है। NEP 2020 के कुछ प्रमुख तत्व जो स्त्री मुक्ति के प्रयासों से जुड़े हैं

- जेंडर-इन्क्लूजन फंड के माध्यम से लड़कियों के लिए विशेष सुविधाएँ।
- बहु-विषयी और लचीली शिक्षा की व्यवस्था, जिससे महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन कर सकें।
- स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान, जो महिला छात्राओं के लिए अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाता है।

इस प्रकार, NEP 2020 ने शिक्षा को न केवल ज्ञान-अर्जन का साधन, बल्कि स्त्री मुक्ति और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का सामाजिक उपकरण बनाने का प्रयास किया है।

10. निशंक की पहल का विश्लेषण

स्त्री मुक्ति और लोकतंत्र डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक की पहलों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने शिक्षा, सुरक्षा, उद्यमिता और जागरूकता को एक-दूसरे से जोड़कर स्त्री मुक्ति की दिशा में एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है। इन पहलों के महत्व को निम्न रूप में समझा जा सकता है

1) शिक्षा को स्त्री मुक्ति का मूल आधार बनाना

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV), प्रगति और लैंगिक समावेशन निधि (Gender-Inclusion Fund) जैसी योजनाएँ लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं, जो लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ाती है।

2) सुरक्षा और स्व-रक्षा पर जोर

स्व-रक्षा प्रशिक्षण और हेल्पलाइन नंबरों की व्यवस्था ने महिला छात्राओं को साहस और सुरक्षा का अहसास दिया है, जिससे वे अधिक सक्रिय और स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकती हैं।

3) उद्यमिता और आर्थिक स्वावलंबन

WAVE Summit और अन्य उद्यमिता कार्यक्रमों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, जो लोकतंत्र में उनकी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाता है।

4) जागरूकता और सांस्कृतिक परिवर्तन

तुक्कड़ नाटक, लिलावती पुरस्कार और NEP 2020 के माध्यम से लैंगिक समानता, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाई गई है, जो लंबे समय में सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने में सहायक है।

इन सभी पहलों से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. निशंक ने भारतीय लोकतंत्र को स्त्री मुक्ति के प्रयासों से जोड़कर एक ऐसा ढांचा बनाने का प्रयास किया है, जहाँ महिलाएँ न केवल नागरिक, बल्कि सक्रिय निर्णय-निर्माता भी बन सकें।

11. चुनौतियाँ और सुझाव

यद्यपि डॉ. निशंक की पहल स्त्री मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं

- स्त्री शिक्षा को केवल साक्षरता नहीं, बल्कि आत्मचेतना और नेतृत्व विकास से जोड़ा जाए।
- साहित्य और मीडिया के माध्यम से सकारात्मक स्त्री छवि को बढ़ावा दिया जाए, जैसा कि 'निशंक' की रचनाओं में दिखाई देता है।
- पुरुषों को भी स्त्री मुक्ति की प्रक्रिया का सक्रिय सहभागी बनाया जाए।
- लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्त्रियों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- साहित्यिक विमर्श को नीतिगत और सामाजिक कार्यों से जोड़ा जाए।

निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र में स्त्री मुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' की पहल यह स्पष्ट करती है कि साहित्य समाज को सोचने और बदलने की शक्ति रखता है। आवश्यकता इस बात की है कि इन विचारों को सामाजिक व्यवहार और नीतियों में रूपांतरित किया जाए, तभी लोकतंत्र वास्तव में समावेशी और सशक्त बन सकेगा।

संदर्भ

1. <https://www.socialsciencejournals.net/archives/2025/vol7issue1/PartL/7-2-87-830.pdf>
2. <https://www.socialsciencejournals.net/archives/2025/vol7issue1/PartL/7-2-87-830.pdf>
3. <https://www.drishtiias.com/hindi/blog/women-empowerment-in-india>
4. <https://www.granthaalayahpublication.org/Arts-Journal/ShodhKosh/article/view/4057>
5. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1711054®=3&lang=2>
6. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1673518®=3&lang=2>
7. AICTE. (2021). Lilavati Awards for Women Empowerment Projects. All India Council for Technical Education
8. Ministry of Education. (2020). Guidelines for KGBV Expansion and Gender Inclusion Fund. Under NEP 2020 implementation.

9. Ministry of Education. (2020). National Education Policy 2020. Chapter on Gender Inclusion and Equity.
10. Ministry of Human Resource Development. (2019-2021). Annual Report: PRAGATI Scholarships and Supriya Scholarships for Girls
11. AICTE. (2022). Waste Management Accelerator for Aspiring Women Entrepreneurs (WAVE) Summit Report
12. Government of India. (2021). Profile and Contributions of Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank. Press Information Bureau